प्रेस नोट दिनाँक-10.08.2022

सर्राफा व्यापारी के साथ हुई डकैती की घटना का सफल अनावरण

05 अभियुक्त गिरफ्तार

कब्जे से डकैती का बैग, आभूषण सफेद व पीली धातु अनुमानित कीमत (03 लाख 50 हजार रूपये) व 10 हजार रूपये तथा 03 अदद अवैध तमंचा मय 03 अदद कारतूस व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एम0पी0 त्रिपाठी एवं प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री नागेन्द्र कुमार नागर के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनाँक-05.08.2022 को थाना रैपुरा क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा व्यापारी के साथ हुई डकैती का सफल अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गयी। पुलिस टीम द्वारा डकैती की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से डकैती का बैग, आभूषण सफेद व पीली धातु कीमत लगभग(लाख रूपये) व 10 हजार रूपये तथा 03 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक 05/08/22 को हिमांशु सोनी पुत्र हरीमोहन सोनी निवासी कस्बा व थाना राजापुर द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गयी कि वह अपने चाचा कामता सोनी पुत्र जीतलाल सोनी के साथ थाना रैपुरा अन्तर्गत रामनगर स्थित अपनी बमभोले ज्वैलर्स के नाम की दुकान को बन्द करके रामनगर से राजापुर जा रहे थे कि रामनगर कस्बा व छीबो रोड के मध्य पुल के पास समय शाम लगभग 07:00 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर, गिराकर, मारपीट कर मेरा बैग जिसमें सोने चांदी के जेवरात सहित 72000 रूपया सहित दुकान की चाभी, टिफिन पानी की बोतल थी लूट ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 144/22 धारा 394 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र खुलाशा एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा एवं प्रभारी एसओजी0 के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। पुलिस टीम लगातार प्रयासरत रहकर सफलता प्राप्त करते हुए दिनाँक-09.08.2022 को प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एम0पी0 त्रिपाठी एवं उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्राथमिक विद्यालय नोनमई वहद ग्राम नोनमई से 02 मोटरसाइकिल पर सवार 05 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जिनसे नाम पता पूछा गया तो **अपाचे मोटरसाइकिल** पर सवार तीन व्यक्तियों ने क्रमशः अपना नाम 1. सत्यम गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता निवासी कृष्णानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा 2. अजय कुशवाहा पुत्र राजबहादुर कुशवाहा निवासी प्रभाकर नगर बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा 3. शैलेन्द्र सिंह उर्फ साहिल पुत्र स्व0 महाजगबन्दन सिंह निवासी मनोरथ थोक सुन्दर कुआं बबेरू जनपद बांदा बताया तथा **मो0सा0 होण्डा लीवो** पर सवार 02 व्यक्तियों ने क्रमशः अपना नाम 1. अमित साहू पुत्र गनेश साहू निवासी दूल थोक बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा 2. मुकेश पाल पुत्र रामदास पाल निवासी झील का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद

बांदा बताया। **जामातलाशी** से अभियुक्त सत्यम गुप्ता के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व डकैती के 2000 रूपये, अजय कुशवाहा के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व डकैती के 2000 रूपये, अमित साहू के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व डकैती के 2000 रूपये, शैलेन्द्र सिंह उर्फ साहिल के कब्जे से डकैती के 2000 रूपये, मुकेश पाल के कब्जे से डकैती के 2000 रूपये बरामद किये गये। पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि बम भोले ज्वैलर्स के मालिक के साथ की गयी **लूट में हम पांच लोगों के अलावा 1.** संजू सिंह पुत्र स्व0 मुनक्का निवासी कृष्णानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा **2.** सचिन यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी जरौली कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा **3.** अनूप सविता पुत्र चुनवाद निवासी कृष्णानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा भी शामिल थे। **दिनाँक-05.08.2022 की शाम 07.00 बजे** की घटना से पहले हम 08 लोगों ने मिलकर बबेरू में ही सहअभियुक्त सचिन यादव के कहने पर लूट की घटना का प्लान बनाया था। सचिन यादव के पास इसकी एक सफेद रंग की स्कार्पियों नं 0 UP 90W7809 है घटना से कुछ दिन पहले सचिन यादव यहां रामनगर आकर सबकुछ देखकर चला गया था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की निशादेही पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नोनमई के पास स्थित खजूर की झाड़ी में छिपाकर रखा गया काले रंग का बैग जिसमें 01 अदद स्टील का टिफिन, 01 पानी की प्लास्टिक की बोतल, 01 चाभी का गुच्छा एवं 01 पर्स जिसमें कुछ कागजात व हिमांशु सोनी का फोटो व आधार कार्ड तथा सफेद धातु की 03 जोडी पायल तथा एक जोड़ी कान के टाप्स, 01 जोड़ी झुमका, 06 जोड़ी सुई धागा, 08 अदद जीरा दाना, 01 नाक की कील, 21 छोटे-बड़े लॉकिट बरामद हुआ। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 144/2022 में धारा 394 भादवि0 को धारा 395 भादवि0 में तरमीम कर धारा 412 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरणः-

1. सत्यम गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता निवासी कृष्णानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा।
2. अजय कुशवाहा पुत्र राजबहादुर कुशवाहा निवासी प्रभाकर नगर बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा।
3. शैलेन्द्र सिंह उर्फ साहिल पुत्र स्व0 महाजगबन्दन सिंह निवासी मनोरथ थोक सुन्दर कुआं बबेरू जनपद बांदा।
4. अमित साहू पुत्र गनेश साहू निवासी दूल थोक बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा।
5. मुकेश पाल पुत्र रामदास पाल निवासी झील का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

बरामदगीः-

1. अभियुक्त सत्यम गुप्ता के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूटे गये 2000 रूपये
2. अभियुक्त अजय कुशवाहा के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूटे गये 2000 रूपये
3. अभियुक्त अमित साहू के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूटे गये 2000 रूपये
4. अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ साहिल के कब्जे से लूटे गये 2000 रूपये

5. अभियुक्त मुकेश पाल के कब्जे से लूटे गये 2000 रूपये
6. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे नं 0UP 90 R 2650 तथा मोटर साइकिल होण्डा लीवो बिना नम्बर
7. काले रंग का बैग जिसमें 01 अदद स्टील का टिफिन, 01 पानी की प्लास्टिक की बोतल, 01 चाभी का गुच्छा एवं 01 पर्स जिसमें कुछ कागजात व हिमांशु सोनी का फोटो व आधार कार्ड तथा सफेद धातु की 03 जोडी पायल तथा एक जोड़ी कान के टाप्स, 01 जोड़ी झुमका, 06 जोड़ी सुई धागा, 08 अदद जीरा दाना, 01 नाक की कील, 21 छोटे-बड़े लॉकिट।

8. बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

प्रथम टीमः-

1. प्रभारी एसओजी0/सर्विलांस श्री एम0पी0 त्रिपाठी
2. मुख्य आरक्षी रईश खां
3. आरक्षी जितेन्द्र कुमार
4. आरक्षी रोहित सिंह
5. आरक्षी शरद कुमार सिंह
6. आरक्षी राहुल यादव
7. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
8. आरक्षी आशीष कुमार
9. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

द्वितीय टीमः-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी दीपक श्रीवास्तव
3. आरक्षी धर्मेन्द्र प्रजापति
4. आरक्षी नन्दलाल राम
5. आरक्षी महेन्द्र सिंह

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप श्री संजय कुमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा थाना कोतवोली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1489/2008 धारा 457/380/411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रजुवा उर्फ सीताशरण पुत्र शिवधनी मिश्रा 2. भइयन उर्फ देवनारायण निवासी इन्द्रपाल नाई निवासी ग्राम लूक थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास एवं 09-09 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी अभियुक्त 3. दयानिधि पुत्र राजाराम उपाध्याय निवासी लूक थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष के कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(3). आज दिनांक 09.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). दिनाँक-09.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(5). आज दिनाँक 10.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।